कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास)जिला-धमतरी (छ0ग0)

E-mail. tribal.dhamtari@gmail.com, tribal.dmt@gmail.com Phone no. 07722-232142, Fax no. 07722-232143

क्रमांक / 1861 / आदि0वि0 / स्था0 / 2023–24, धमतरी ,दिनांक 12/05/2023

प्रति,

जिला सूचना अधिकारी,
एन.आई.सी. धमतरी छ0ग0

विषयः– नियमित भर्ती हेतु जारी विज्ञापन का वेबवाईट में प्रकाशन बाबत् ।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास धमतरी हेतु डाटाएन्ट्री ऑपरेटर, वाहन चालक एवं भृत्य नियमित के रिक्त पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा रहा है। विज्ञापन का प्रारूप संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया जिले की वेबसाईट **www.dhamtari.gov.in** में अपलोड करने का कष्ट करेंगे। उपरोक्त जानकारी में आई.टी.एक्ट. 2000 एवं आधार एक्ट 2016 का पालन किया गया है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास धमतरी

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर
(आदिवासी विकास) जिला–धमतरी (छ0ग0)

Email-tribal.dmt@gmail.com, Phone-07722-232142

–– : : विज्ञापन : : ––

कमांक/ 1860 /आदि0वि0/स्था./2023 धमतरी, दिनांक 12/05/2023

छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ. –13–1/2023/आ.प्र./1–3/ नया रायपुर दिनांक 03.05.2023 एवं आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नया रायपुर छ0ग0 के पत्र क्रमांक/सा.स्था.3/भर्ती–24/2023/1096, नया रायपुर दिनांक 08.05.2023 के द्वारा कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास धमतरी अन्तर्गत जिला स्तरीय पद संरचना में सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियमानुसार भर्ती की कार्यवाही किये जाने के निर्देश है, के अनुपालन में निम्नानुसार रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 26.05.2023 को संध्या 5.00 बजें तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है :–

क्र0	पदनाम	आरक्षण की स्थिति												योग
		अनु0जाति			अनु0जनजाति			अ0पि0व0			अनारक्षित			
		मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	01
02	वाहन चालक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	01
03	भृत्य	–	–	–	1	–	–	1	–	–	2	1	–	05

शैक्षणिक योग्यता/वेतनमान एवं तकनीकी योग्यता :–

(1) **डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (01 पद नियमित) :–**
(अ) सेवा श्रेणी – तृतीय श्रेणी
(ब) वेतनमान – लेवल–05 (22400–71200)
(स) शैक्षणिक योग्यता–मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण।

(ब) डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी मे डाटा एण्ट्री की गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।

(द) मान्यता प्राप्त आई0टी0आई0 से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिंसटेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।

(इ) मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इंफारमेशन टेक्नोलॉजी/मार्डन आफिस मैंनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)

कमशः–02

Scanned with CamScanner

(ई) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्स यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नोलॉजी/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।

(2) **वाहन चालक (01 पद नियमित) :–**

(अ) सेवा श्रेणी – तृतीय श्रेणी
(ब) वेतनमान – लेवल – 04 (19500–62000)
(स) शैक्षणिक योग्यता– मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं वाहन चालक वैद्य अनुज्ञप्ति होना चाहिए।

(3) **भृत्य (05 पद नियमित) :–**

(अ) सेवा श्रेणी – चतुर्थ श्रेणी
(ब) वेतनमान – लेवल – 01(15600–49400)
(स) शैक्षणिक योग्यता– मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण।

नियम एवं शर्तें :–

(1) **आयु –**

(क) उम्मीदवार को दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष की होनी चाहिए। अन्य विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में प्राप्त छूट यथावत लागू रहेगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ख) यदि अभ्यर्थी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के प्रावधान के अनुसार महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगा।

(I) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 43 वर्ष से अधिक आयु का न हों।

(II) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 43 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(III) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो उसे अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं की योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, शर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द "छंटनी" किये गये शासकीय सेवक से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या नहीं किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 06 माह की कालावधि तक निरंतर हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया।

(IV) ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जावेगी, परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

क्रमशः–03

Scanned with CamScanner

(V) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(VI) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(VII) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

(VIII) स्वंय सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ड़) आयु के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेगें।

(च) विधवा परित्याक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

(छ) निःशक्तजन आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जावेगी। बशर्ते निःशक्तता कम से कम 40 प्रतिशत हो। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा वैद्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ज) छ०ग० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3-2/2002/1-3 दिनांक 30.01.2012 क अनुसार संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष छूट दी जावेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

(झ) सभी प्रकार की आयु में छूटों में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी। यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ पाने वाले किसी एक आधार के लिए देय छूट ही मिलेगी। उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जायेगी।

<u>पात्रता -</u>

1. आवेदक को छ०ग० का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
2. आवेदक को छ.ग. राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है
3. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र कमांक/13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.03.2013 क कण्डिका 6(2) के अनुसार

"आरक्षित पर नियुक्ति के उपरांत आवेदक के उपयुक्त अनुकम में निर्धारित शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा। जिसमें प्रमाण पत्र गलत अथवा कपट पूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने की स्थिति में प्रदत्त लाभ एवं सुविधाओं पर व्यय की गई राशि भू-राजस्व की भांति वसूल किये जाने से सहमति एवं प्रवृत्ति कानूनों के तहत दण्ड का भागी होने संबंधी आशय निहित होगा।

4. शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आयु के संबंध में शैक्षणिक प्रमाण पत्र अथवा शासकीय कार्यालयों द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

कमशः-04

Scanned with CamScanner

6. जिन आवेदकों को उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्तांक/प्रतिशत के बजाय CGPA (grade) प्रदान किया गया है, उनके प्रतिशत ज्ञात करने हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के निर्धारित नियमानुसार गणना की जावेगी।
7. आवेदन करने के पहले विज्ञापन में प्रकाशित आवश्यक एवं वांछित शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता स्वंय सुनिश्चित कर लेवें एवं अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही आवेदक अपना आवेदन करें। कौशल परीक्षा मे सम्मिलित करे का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।
8. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
9. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगें। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।
10. कौशल परीक्षा के समय/चयन पश्चात् आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं आवेदक द्वारा दी गई जानकारी संबंधी सुसंगत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. समान अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी एवं अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा।
12. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छ.ग. राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

<u>अपात्रता –</u>

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो –

1. यदि कोई उम्मीदवार विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
2. कोई भी पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
3. किसी उम्मीदवार की सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जावेगा जब तक उसे ऐसे स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के लिए कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक वा शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाये।
4. कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसा की आवश्यकता समझी जाये नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
5. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने पर लंबित रखा जाये।
6. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

क्रमशः–05

Scanned with CamScanner

<u>चयन प्रक्रिया –</u>

1. **डाटा एन्ट्री ऑपरेटर** के रिक्त पद हेतु पात्र उम्मीदवारों के लिए सर्व प्रथम कौशल परीक्षा 40 अंक की आयोजित की जायेगी। कौशल परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त 10 आवेदको की सूची तैयार की जावेगी, तत्पश्चात कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक, शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 45 प्रतिशत अंक एवं अनुभव का अधिकतम 15 अंक के योग के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

   (अ) शासकीय संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र अधिकतम 15 अंक का होगा। प्रत्येक वर्ष के लिए 1.5 अंक निर्धारित है। अधिकतम 10 वर्ष के अनुभव को गणना में लिया जावेगा।

   (ब) कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
2. यदि दो उम्मीदवारों का अंक समान हो तब कौशल परीक्षा में अधिक अंक तथा कौशल परीक्षा का अंक समान हो तो उस स्थिति में जन्म तिथि को आधार मान कर वरीयता तय की जावेगी, जिस उम्मीदवार की जन्म तिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
3. प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 07 दिवस पूर्व जिले के वेबसाईट **www.dhamtari.gov.in** में देखा जा सकता है, पृथक से उपलब्ध/सूचित नहीं कराया जायेगा।
4. <u>वाहन चालक–</u> (अ) निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत अंक।

   (ब) शासकीय संस्थाओं द्वारा जारी (वाहन चालक) अनुभव प्रमाण पत्र अधिकतम 10 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक) अधिकतम 05 वर्ष के अनुभव को गणना में लिया जावेगा।

   (स) कौशल परीक्षा में अधिकतम 40 अंक। (सुरक्षित ड्राईविंग–10 अंक, यातायात संकेत–10, ऑटोमोबाईल का ज्ञान–10 अंक एवं प्रारंभिक मरम्मत –बैटरी परीक्षण तथा टायर चेज–10)
5. <u>भृत्य,–</u> (अ) निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 85 प्रतिशत अंक।

   (ब) शासकीय संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र अधिकतम 15 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक) अधिकतम 05 वर्ष के अनुभव को गणना में लिया जावेगा।
6. आवेदन में दर्शाई गई जानकारी असत्य एवं मिथ्या पाई जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए व्यवधानिक कार्यवाही की जावेगी।
7. समस्त पदों के लिए चयन सूची जारी होने के पश्चात एवं नियुक्ति आदेश के समय समस्त प्रकार के मूल प्रमाण पत्र एवं सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
8. चयन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर, जिला–धमतरी को होगा।

कमशः–06

Scanned with CamScanner

9. यदि दक्षता/कौशल परीक्षा के बाद चयनित हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने अथवा चयनित उम्मीदवार के द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में मेरिट लिस्ट के 01 पद के विरूद्ध 10 गुणा के बाद मेरिट लिस्ट में से 01 पद के विरूद्ध 5 गुणा उम्मीदवारों की प्रावधिक सूची तैयार कर दस्तावेजों के सत्यापन जांच हेतु आमंत्रित किया जावेगा। तद्नुसार उपरोक्त दर्शित चयन प्रक्रिया के तहत् चयन किया जावेगा।
10. सभी नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी.) क्रमांक/19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
11. रिक्त पदों में कमी अथवा बढ़ाये जाने का अधिकार कलेक्टर, जिला–धमतरी को होगा।
12. छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक/एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 29.08.2020 के तहत् उपरोक्त पद पर नियुक्त कर्मचारी प्रथम तीन वर्ष की परिविक्षा अवधि पर रहेगे।
13. जारी विज्ञापन में टंकन त्रुटिवश यदि किसी नियम व शर्तो में संशोधित किया जाता है तो जारी संशोधित नियम/निर्देश मान्य होगा, जिसकी सूचना जिले के वेबसाईट **www.dhamtari.gov.in** में देखा जा सकता है, पृथक से सूचित नहीं कराया जायेगा।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास धमतरी

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

Scanned with CamScanner

आवेदन पत्र का प्रारूप

कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास धमतरी में .... पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

(पृथक–पृथक पद में भर्ती हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करें)

आवेदित पद का नाम :– ....
वर्ग (जाति) :– ....
लिंग :– ....

नवीनतम स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो चस्पा करें

प्रति,

कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा)
कलेक्ट्रेट परिसर प्रथम तल कक्ष क्रमांक–84
धमतरी, जिला–धमतरी (छ0ग0)

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :–..
2. पिता/पति का नाम :–..
3. (अ) जन्मतिथि अंकों में :–..
   (ब) शब्दों में :–..
4. दिनांक 01.01.2023 को आयु :– वर्ष.......................माह.......................दिन.......................
5. (अ) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :–..
   ....
   ....
   (ब) स्थायी पता :–..
   ....
   मोबाईल नंबर :–..
6. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) :–..
7. क्या अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते है ? :–..
   (यदि हॉ तो किसी श्रेणी से उल्लेख करें)
8. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है ? :–..
   (यदि हॉ तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
9. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा ? :–..
   छ.ग. राज्य क लिए घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हां/नहीं
   (यदि हॉ तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
10. क्या आवेदक विकलांग है ? हां/नहीं :–..
    (यदि हॉ तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
11. विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत :–..
12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हॉ/नहीं :–..
    (यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
13. क्या आवेदक विवाहित है ? हॉ/नहीं :–..
14. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि :–..

Scanned with CamScanner

15. जीवित बच्चों की संख्या एवं जन्मतिथि :–..

16. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

16.1 क्या आवेदक शासकीय संस्थान में सेवारत है ? हां/नहीं :–..

(यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र0	संस्था का नाम	पदनाम	मासिक वेतन	अवधि	कुल वर्ष
1	2	3	4	5	6

17. क्या आवेदक/आवेदिका के विरूद्ध कोई दाण्डिक :–.. प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है ? हां तो संबधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण कमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1..2..
3..4..
5..6..
7..8..
9..10..
11..12..

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरे व्यक्तिगत् जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है, तो उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :– ....

स्थान :– ....

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....

Scanned with CamScanner